


#2025/1485

उत्तर 12.11

(राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1050 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में सुद्धि कराने का प्रयत्न

प्रशासन गांवों के सं-2021  
10.10.25



क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खत का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2	3. किरा	4.	5.	6.	7.
1	73	1	0.10 ई	पुष्पराज कुश मीठा	पुष्पराज कुश मीठा	
	54	2	1.70 ई	अति-जाड्डी खा० देह	अति-जाड्डी खा० देह	
	93	3	1.13 ई			

मुताबिक मिसल/जमावन्दी संवत २०१५-१६ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० नू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अत्यपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खत में सुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का... की साबिक रिकॉर्ड के मू०अ०दि०... के मिलावट के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण अन्तर्गत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अत्यपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का... की राजस्व अधिकारी... की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमावन्दी में अमल किया जाये।

दिनांक 10/10/25  
ह०-उत्तरवारी  
प०अ०दि०

दिनांक  
ह० ग०अ०दि०

ह० रा०अ०स्व अधिकारी

ह० उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार (नू.अ.)  
तहसील कपासन जिला-चिनोड़गढ़  
कपासन जिला-चिनोड़गढ़